



प्रेस नोट- थाना जैतीपुर

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 10.10.2026

थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 810 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम) के साथ 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन व ₹2,200 नकद बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की बिक्री व निर्माण पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त के दौरान थाना जैतीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.10.2026 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु गश्त पर थी। इसी दौरान नवादा मोड़ पर मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि गेल इण्डिया टावर से पहले सड़क पर दो व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास अवैध वस्तु है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम बरादा गौरिया जाने वाले रास्ते के तिराहे से समय करीब 19:50 बजे दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम अबरार पुत्र इशरार निवासी ग्राम टाटराबाद, थाना गढ़िया रंगीन, जनपद शाहजहाँपुर तथा खुशीराम पुत्र तौलेराम निवासी ग्राम बंडिया खुर्द, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली बताया। नियमानुसार तलाशी एवं विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अभियुक्त अबरार के कब्जे से 400 ग्राम अवैध अफीम, एक मोबाइल फोन एवं ₹1,500 नकद तथा अभियुक्त खुशीराम के कब्जे से 410 ग्राम अवैध अफीम, एक मोबाइल फोन एवं ₹700 नकद बरामद किए गए। इस प्रकार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 810 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन एवं ₹2,200 नकद बरामद हुए। बरामद मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने उक्त अफीम बरेली जनपद के हाफिजगंज क्षेत्र के सोनू उर्फ इब्राहिम नामक व्यक्ति से खरीदी थी तथा इसे ट्रक चालकों एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को बेचने जा रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को उनके विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 20:55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना जैतीपुर पर मु०अ०सं० 145/2026, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अबरार पुत्र इशरार निवासी ग्राम टाटराबाद थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. खुशीराम पुत्र तौलेराम निवासी ग्राम बंडिया खुर्द थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय:-

दिनांक 09.10.2026 को समय 20.55 बजे बनखण्डी पुलिया से पहले ग्राम बरादा गौटिया को जाने वाले तिराहे पर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 0145/26 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 810 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम) ।
2. एक अदद मोबाईल VIVO कम्पनी मय 700 रुपये ।
3. एक अदद मोबाईल Real me कम्पनी मय 1500 रुपये ।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तगण अबरार व खुशीराम उपरोक्त ने बताया कि, “साहब, यह माल हमें एक व्यक्ति ने दिया था, जो अपना नाम सोनू उर्फ इब्राहिम बता रहा था। उसके पिता का नाम हमें मालूम नहीं है। उसने बताया था कि वह बरेली का रहने वाला है। प्रत्येक शुक्रवार को करीब 12:00 बजे फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली के चौराहे व हाईवे पुल के पास अलग-अलग व्यक्ति हमें मिलते हैं और माल देते हैं। हम उन व्यक्तियों का सही नाम-पता नहीं जानते हैं। हम दोनों लालच में आ गए थे और ट्रक चालकों व जरूरतमंद लोगों को बेचने के लिए यह अफीम खरीदी थी, जिससे हमें करीब 10 से 12 हजार रुपये का मुनाफा हो जाता । साहब, हम उन व्यक्तियों को नहीं जानते और वे भी हमें नहीं जानते हैं। कुछ ही देर में अच्छा मुनाफा हो जाने के लालच में हमने यह अफीम खरीदी थी। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. रामेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
2. इतेश तोमर उप निरीक्षक थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
3. हे0का0 अजय राना थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
4. का0 नवीन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
5. का0 अभिषेक थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।

